न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, **चेतन देवड़ा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2019 (रसद)
पंजीयन दिनांक 26.07.2019

राज्य सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

श्री कमलेश कुमार कोठारी पुत्र श्री किशनलाल कोठारी निवासी निकुंभ चौराहा

–विपक्षी

कार्यवाहीः–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 में जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थिति : 1–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 21.01.2020

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.03.2019 को जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दूरभाष पर ATM गली भदेसर रोड़, निकुंभ चौराहे पर श्री राजेश कुमार बाबेल के नोहरे में घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं अवैध रिफलिंग की सूचना मिलने पर जिला रसद अधिकारी के निर्देशों की पालना में मौके पर पहुंच जांच की गई, मौके पर पहले से ही थानाधिकारी निकुंभ द्वारा अवैध व्यापार हेतु संग्रहित घरेलू गैस सिलेण्डर व कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर के पास जाब्ता श्री कैलाश चन्द्र हेड कॉन्स्टेबल बेल्ट नं. 936 पाए गए। मौके पर श्री राजेश कुमार बाबेल व श्री अनिल कुमार कोठारी मिले, परिसर का मुआयना करने के पश्चात् मालिक के बारे में पूछताछ करने पर यह नोहरा श्री राजेश कुमार बाबेल का होना तथा नोहरे में श्री कमलेश कोठारी निवासी निकुंभ द्वारा गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं अवैध व्यापार करना बताया। मौके पर घरेलू गैस के 14 सिलेण्डर, कॉमर्शियल गैस के 15 सिलेण्डर व 1 रिफिलिंग मशीन (Hi-Tone) पाईप व नोजल लगे हुए पाए गए। मौके पर उपस्थित श्री कमलेश कोठारी के बडे भाई श्री अनिल कोठारी से गैस भण्डारण व रिफिलिंग के आवश्यक दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। नोहरे में अवैध

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

व्यापार करने वाले श्री कमलेश कोठारी को बार-बार बुलाने पर भी वह मौके पर उपस्थित नही हुआ तथा न ही अवैध रूप से भण्डारित घरेलू व कॉमर्शियल सिलेण्डरों के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए और न ही गैस रिफिलिंग से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। मौके पर मैसर्स सांवलिया गैस एजेन्सी भदेसर के प्रतिनिधि को बुलाकर उनके कम्प्यूटराईज्ड कांटे से सिलेण्डरों में भरी गैस का तौल करवाया गया तो 14 घरेलू सिलेण्डरों में कुल 154.4 कि. ग्रा. गैस तथा 15 कॉमर्शियल सिलेण्डरों में कुल 51.6 कि. ग्रा. गैस भरी हुई पाई गई। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाने से एल. पी. जी. गैस से भरे हुए 14 घरेलू सिलेण्डर, 15 कॉमर्शियल सिलेण्डर मय एक रिफिलिंग मशीन, एक पाईप व एक नोजल को जब्त कर, उक्त जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना-पत्र जारी किया गया। विपक्षी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जवाब प्रस्तुत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नही किया जा सकता है। दिनांक 16.03.2019 को श्री राजेश कुमार बाबेल के नोहरे पर जांच करने पर विपक्षी के कब्जे में घरेलू गैस के कुल 14 सिलेण्डर, 15 व्यवसायिक सिलेण्डर व 1 रिफिलिंग मशीन मय पाईप व नोजल अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस, 1 रिफिलिंग मशीन, एक पाईप व एक नोजल आदि राजसात (**Confiscate**) किये जाने योग्य है।

विपक्षी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त गैस सिलेण्डर मेरे द्वारा मेरे पुत्र के मुण्डन संस्कार के कार्यक्रम मे आयोजित भोजन/प्रसादी तैयार कराने हेतु परिवार के सदस्यों तथा पास-पड़ौस के माध्यम से एकत्रित किए थे तथा उनका किसी प्रकार से अवैध भण्डारण नहीं किया गया। अतः मेरे विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही निरस्त करते हुए उक्त गैस सिलेण्डर दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ़

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा श्री राजेश बाबेल के नोहरे का निरीक्षण करने पर वहां घरेलू श्रेणी के 14 गैस सिलेण्डर जिनमें 154.4 कि. ग्रा. गैस, 15 व्यवसायिक सिलेण्डर जिनमें 51.6 कि. ग्रा. गैस भरी हुई तथा गैस रिफिलिंग की एक मशीन एक पाईप व एक नोजल अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उपस्थित नोहरे के मालिक श्री राजेश बाबेल व विपक्षी के बडे भाई श्री अनिल कोठारी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त नोहरे में विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व अवैध व्यापार करना बताया। उक्त गैस सिलेण्डर के वैध दस्तावेज मांगने पर विपक्षी द्वारा उक्त सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

जहां तक विपक्षी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर पुत्र के मुण्डन संस्कार के कार्यक्रम के भोजन/प्रसादी तैयार कराने हेतु एकत्रित किये जाने का कथन किया है वहां स्पष्ट करना चाहेंगे कि भोजन प्रसादी तैयार कराने हेतु अधिकतम 5-8 सिलेण्डरों की आवश्यकता हो सकती है किन्तु मौके पर 14 घरेलू व 15 व्यवसायिक सिलेण्डर तथा उनके साथ ही गैस रिफिलिंग की 1 मशीन, एक पाईप व एक नोजल पाए गए हैं जो कि इस तथ्य को बल देते हैं कि विपक्षी द्वारा उनसे अवैध गैस रिफिलिंग का व्यवसाय किया जाता है। यदि विपक्षी का यह कथन मान भी लिया जावे कि गैस सिलेण्डर पुत्र के मुण्डन संस्कार हेतु रिश्तेदार एवं पड़ौसियों से एकत्र किए थे तो व्यवसायिक सिलेण्डरों की स्थिति में यह भी संभव नहीं है।

इस प्रकार विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नही किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का श्री राजेश बाबेल के नोहरे में व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया है। अतः जब्त शुदा एल. पी. जी. गैस के घरेलू श्रेणी के 14 गैस सिलेण्डर, 15 व्यवसायिक सिलेण्डर जिनमें भरी हुई कुल 206 कि. ग्रा. गैस तथा 1 रिफिलिंग मशीन, एक पाईप व एक नोजल राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :0/2019 (रसद)
राज्य सरकार जरिए श्री शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री कमलेश कोठारी निवासी निकुंभ

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए जब्त शुदा घरेलू श्रेणी के 14 गैस सिलेण्डर, 15 व्यवसायिक सिलेण्डर जिनमें भरी हुई कुल 206 कि. ग्रा. गैस मय एक रिफिलिंग मशीन (Hi Tone), एक पाईप व एक नोजल राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों मय अन्य सामग्री के निस्तारण की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चेतन [illegible])
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.02.03 17:24:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: